[Vol-2, Issue-2, July-September 2024]

International Journal of Science and Social Science Research [IJSSSR] *ISSN: 2583-7877*

शीर्षक—सूचनाधिकार के माध्यम से ग्रामीण विकास

डॉ0 ओमप्रकाश दूबे

असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, राजा श्रीकृष्ण दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

Author Email: opdubey2356@gmail.com

सार —लोकतंत्र में सरकार से पारदर्शिता और ईमानदारी की अपेक्षा की जाती है, किंतु स्वतंत्रता के बाद बढ़े भ्रष्टाचार ने सूचनाधिकार (Right to Information) की माँग को जन्म दिया। स्वीडन को सूचनाधिकार कानून की जननी माना जाता है। भारत में सूचनाधिकार अधिनियम 2005, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 15 जून 2005 को लागू हुआ और 24 अक्टूबर 2005 से पूर्ण प्रभावी हुआ। यह अधिनियम लोकतंत्र व्यवस्था में पारदर्शिता लाने में सहायक सिद्ध हुआ है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी लगभग 70% आबादी गाँवों में रहती है और ग्रामीण जनता का एक बड़ा हिस्सा अशिक्षित एवं कम जानकारी वाला है। 73वें संवैधानिक सुधार अधिनियम 1992 के उपरांत लागू हुई पंचायत व्यवस्था में सूचनाधिकार अधिनियम 2005 का विशेष महत्व है। सूचनाधिकार के माध्यम से ग्राम विकास के कार्यक्रमों में पारदर्शिता आई है, और ग्रामीण जनता गाँव के विकास से जुड़े कार्यों और विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे हैंडपंप, विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास (इंदिरा आवास योजना), रोजगार गारंटी, पेंशन (वृद्धा/विधवा), राशन वितरण, छात्रवृत्ति आदि की जानकारी प्राप्त कर रही है। हालाँकि, विभिन्न विभागों द्वारा कार्य कराए जाने से जनता को जानकारी के लिए भटकना पड़ता है। इस समस्या के निवारण हेतु, अधिनियम की धारा 4(1)(ख) सार्वजनिक प्राधिकरणों से स्वेच्छा से (suo motu) सूचना प्रकाशित करने की अपेक्षा करती है, जिसमें पंचायत संस्थाओं के कर्तव्य, निर्णय प्रक्रिया, बजट, नियम और रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण शामिल है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सूचना तक पहुँच को नागरिकों का मौलिक अधिकार घोषित किया है। उत्तर प्रदेश में पंचायत स्तर पर जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत सचिव (PDO), उपनिदेशक पंचायत, जिला पंचायत अधिकारी और संयुक्त निदेशक जैसे लोक सूचना अधिकारी नामित हैं। यद्यपि कुछ सूचनाएँ (जैसे राष्ट्र की सुरक्षा या मंत्रिमंडलीय विचार—विमर्श से संबंधित) प्रकटन से मुक्त हैं, अधिकांश विकास संबंधी अभिलेख संवेदनशील नहीं होते और ग्राम पंचायत सचिव द्वारा रखे गए विभिन्न रजिस्टर (जैसे वार्षिक रिपोर्ट, कैश बुक, कार्यवाही रजिस्टर) सूचनाधिकार के माध्यम से देखे जा सकते हैं। सूचनाधिकार अधिनियम 2005 के आने के बाद ग्रामीण नागरिकों में शिक्षा और जागरूकता बढ़ने से इसका प्रयोग बढ़ा है, जिसने पंचायती प्रक्रिया में ईमानदारी लाई है और लोगों को अपने अधिकारों एवं सरकारी योजनाओं के लाभ के प्रति अधिक चेतन बनाया है।

मुख्य शब्दः सूचनाधिकार, ग्रामीण विकास, पंचायतीराज, पारदर्शिता, उत्तर प्रदेश, सूचना का स्वतः प्रकटीकरण

I. प्रस्तावना

लोकतंत्र में देश की जनता अपने द्वारा चुने गए व्यक्ति को शासन करने का अवसर प्रदान करती है और यह अपेक्षा करती है कि सरकार पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने दायित्वों का पालन करें और सरकार के द्वारा किए गए कार्यों में स्पष्टता हो किन्तु स्वतंत्रता के बाद की विभिन्न सरकारों ने जन विरोधी ओर अलोकतांत्रिक कार्य किए जिससे भ्रष्टाचार के बड़े—बड़े कीर्तिमान स्थापित हुए। इन्हीं सबको ध्यान में रखकर सूचनाधिकार की माँग शुरू हो गयी है।

सूचनाधिकार का अर्थ और सूचना को प्राप्त करने का अधिकारः

सूचनाधिकार द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों के समक्ष अपने कार्य और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है।

सूचनाधिकार कानून आज लगभग 80 से अधिक देशों में लागू है। स्वीडन को सूचनाधिकार कानून की जननी कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम स्वीडन देश में सूचनाधिकार कानून उभरा। भारत में सूचनाधिकार अधिनियम को 11 मई 2005 को लोकसभा व 12 मई 2005 को राज्यसभा द्वारा में प्रस्तावित किया गया। 15 जून 2005 राष्ट्रपति की स्वीकृत प्राप्त हुई जिसके पश्चात यह व्यवस्था भारत में भी आयी।

II. ग्रामीण विकास में सूचनाधिकार की भूमिका

तत्पश्चात सूचनाधिकार पूर्ण रूप से 24 अक्टूबर 2005 को सभी धाराओं के साथ लागू कर दिया गया।

पंचायती व्यवस्था के अन्तर्गत सूचना के अधिकार 2005 के आने के उपरान्त ग्राम विकास पर प्रभावः

भारत देश एक कृषि प्रमुख देश है। भारत लगभग की 70% आबादी गाँवों में रहती है और कृषि आय पर निर्भर है। हमारे देश की लगभग 40% ग्राम्य जनता शिक्षित नहीं है तथा उनमें जानकारी का अभाव है। सम्पूर्ण भारत में पंचायत व्यवस्था 73वें संवैधानिक सुधार अधिनियम 1992 के आने के उपरान्त लागू हुई किन्तु उत्तर प्रदेश में संयुक्त प्रान्त पंचायत अधिनियम 1947 के द्वारा पंचायत व्यवस्था स्वतंत्रता के बाद से ही लागू है केन्द्रीय सरकार द्वारा संविधान के 73वें संशोधन के उपरान्त जो पंचायत अधिनियम लागू किया गया है। उसको दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 1994 में पंचायतीराज अधिनियम 1947 में संशोधन किए हैं और इस संशोधन के पश्चात उत्तर प्रदेश में तीन स्तर पंचायत व्यवस्था लागू हुई जो वर्तमान समय तक चली आ रही है। विवरण।

हमारे देश में सन् 2005 में सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गयी जिसके परिणामस्वरूप सूचना अधिकार अधिनियम लागू हुआ जो लोकतंत्र व्यवस्था में पारदर्शिता लाने में सहायक सिद्ध हुआ है। उत्तर प्रदेश में जनसूचना अधिकार के लागू होने के उपरान्त पंचायती व्यवस्था के द्वारा ग्राम विकास के कार्यक्रमों में पारदर्शिता आयी है तथा सूचनाधिकार के उपयोग द्वारा ग्राम्य जनता भी गाँव के विकास से जुड़े कार्यों के लिए जानकारी को प्राप्त कर रही है।

ग्राम्य विकास के अधिकार के प्रयोग सम्बन्धी अध्ययन करने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे है कि पंचायत व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम्य जनता द्वारा निम्नलिखित प्रश्न सबसे अधिक पूछे जा रहे हैं।

1. हैण्डपम्पों का विवरण।
2. विद्युतीकरण का विवरण।
3. ग्रामीण क्षेत्रीय पंचायतों की भूमि के पट्टे की सूचना।
4. ग्रामीण पंचायतों के खर्चे का विवरण।
5. ए०एन०एम० से सम्बन्धित विवरण।
6. रोजगार गारंटी के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी।
7. इन्दिरा आवास योजना का विवरण।
8. बी०पी०एल० के चयन के लिए किए गए सर्वे का विवरण।
9. वृद्धा/विधवा पेंशन का विवरण।
10. राशन वितरण का विवरण।
11. ग्रामीण विद्यालयों में छात्रवृत्ति के वितरण का विवरण।
12. ग्रामीण विद्यालयों में छात्रवृत्ति के वितरण का विवरण।
13. विद्यालयों में मध्याह भोजन का विवरण।
14. स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाइयों की कमी की समस्या का विवरण।
15. शुद्ध पेयजल की समस्या।
16. स्ट्रीट लाइट के काम न करने की समस्या।
17. ग्राम्य क्षेत्रों में सफाई की समस्या का विवरण।
18. ग्राम्य क्षेत्रों की सड़कों एवं गलियों से जुड़े कार्यों का विवरण।
19. स्कूल में अध्यापक की अनुपस्थिति / सही समय से उपस्थित न होने की समस्या ।
20. स्वास्थ केन्द्रों के डॉक्टरों की अनुपस्थिति / सही समय से उपस्थिति नहीं होने समस्या ।
21. ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी की समस्या आदि।

पंचायत व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम्य क्षेत्रों के विकास के हेतु कराए जाने वाले कार्य अलग–अलग विभागों द्वारा एवं अलग–अलग एजेन्सियों द्वारा कराए जाते हैं जिस कारण जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए भटकना पड़ता है। ग्रामीण जनता में अशिक्षा एवं चेतना

के अभाव के द्वारा उनको यह स्पष्ट नहीं होता कि किस कार्य को किस विभाग ने किया है और सूचना को निस्तारन कर दिया जाता है जिसकी वजह से ग्राम्य जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए दर–दर भटकना पड़ता है।

उपरोक्त समस्याओं के निवारण के लिए सरकार के माध्यम से यह पहल की गयी है कि सूचनाधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (ख) के द्वारा सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों से स्वेच्छा से सूचना देने (पहल करने) की अपेक्षा की गयी है। सूचनाधिकार अधिनियम के तहत कुल 17 क्षेत्र हैं जिनकी सूचनाएँ स्वेच्छा से देने की सलाह दी जाती है। इस धारा का अनुसरण करते हुए ज्यादातर विभाग अपने द्वारा कराए गए कार्यों का विवरण कार्यस्थल पर सूचना पट पर अंकित कर देते हैं।

स्वेच्छा से प्रकटन के उपरान्त भी कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो अनुत्तरित रहते हैं जिसका विवरण प्राप्त करने के लिए गाँव की जनता को सूचनाधिकार का सहयोग लेना पड़ता है। सूचनाधिकार के लागू होने के पश्चात ग्राम्य विकास के लिए चला रहे

कार्यक्रमों में स्पष्टता आयी है। ग्राम्य जनता में शिक्षा का विकास होने एवं जागरूकता आने से सूचनाधिकार का अत्यधिक इस्तेमाल होने लगा है।

III. ग्राम विकास में सूचना के अधिकारों की भूमिका

प्रत्येक लोक निकाय के पास रखी सूचनाओं तक नागरिकों की पहुंच तक लेने जाना ही सूचनाधिकार का उद्देश्य है। इसके अन्तर्गत यह भी शामिल है कि लोक निकाय ऐसी सारी सूचनाएं संकलित करते रहे और उन्हें नागरिकों द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराए सभी लोक निकायों का यह कर्तव्य बनता है कि वह जनता के नाम पर चल रहे विभिन्न विषय को जनता के समक्ष प्रस्तुत करे।

सन् 1973 से लेकर वर्तमान तक अपने विभिन्न निर्णयों में माननीय उच्चतम न्यायालय ने घोषित किया है कि लोक निकायों के पास उपलब्ध सूचना तक पहुंचने का नागरिकों का मूलभूत हक है जो संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार जीवन और स्वतंत्रता तथा विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता का मूल तत्व है।

यह आवश्यक है कि लोगों को पंचायतों से जानकारी प्राप्ति का अधिकार हो क्योंकि ये स्थानीय स्तर की इकाइयाँ हैं जिनका जनता से निकल का सम्बन्ध है वर्ष 1997 में इन स्थानीय स्तर की शासन इकाइयों से सूचना प्राप्ति को सरल बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा पारदर्शिता के तीन बिन्दुओं पर आदेश पारित किया गया।

1. पंचायत संस्थाएँ विशेषतः ग्राम पंचायतें विकास परियोजनाओं सम्बन्धी सूचनाएँ (बजट तथा उनके व्यय सम्बन्धी विवरण) पंचायत कार्यालय या स्थानीय स्कूल के बाहर प्रदर्शित करें। ते सुनमा
2. समस्त सम्बन्धित अभिलेख निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहे।
3. आम जनता से माँगे जाने पर विकास परियोजनाओं के अभिलेखों की छायाप्रति उपलब्ध हो तथा इसके अतिरिक्त जनहित सम्बन्धित विषय पर भी जानकारी मामूली शुल्क लेकर उपलबध करायी जाय।

सूचनाधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को सम्पूर्ण देश में लागू हुआ जिसके अन्तर्गत न केवल सभी केन्द्रीय कार्यालय आते है बल्कि राज्य सरकारें व/केन्द्रशासित प्रदेश तथा उनके माध्यम से वित्त सम्बन्धी सभी संस्थाएँ एवं इकायाँ आती है। यह अधिनियम उन सभी लोक प्राधिकरणों पर लागू होता है जिन्हें संविधान के अन्तर्गत स्थापित व गठित किया गया है। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि पंचायत संस्थाएं जो भारत के संविधान के भाग–9 के अंतर्गत स्थापित की गयी है जो सूचनाधिकार के अन्तर्गत आती है चूँकि पंचायत राज्य विधान मण्डलों के माध्यम से संस्थापित की गयी है अतः यह दूसरे मापदण्ड को भी पूरा करती है।

पंचायत अधिनियम के द्वारा सूचना तक पहुंच के प्रावधानों के साथ–साथ सूचनाधिकार अधिनियम स्थानीय स्तर से सूचना प्राप्त करने का एक दूसरा माध्यम है। सूचनाधिकार अधिनियम के द्वारा नागरिक कार्यो, दस्तावेजों और अभिलेखों का निरीक्षण कर सकते है तथा दस्तावेजों और अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां या उनके उद्धरणों को प्राप्त कर सकते हैं। व्यवस्था को आदि

IV. सूचनाओं का स्वतः प्रकाशन या प्रकटन:[5]

सूचनाधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) के अनुसार स्थानीय निकाय सूचना का नियमित प्रकाशन करते रहेंगे इसे सूचना का स्वतः प्रकटीकरण भी कहा जाता है।

इस धारा के द्वारा यह आशा की जाती है कि स्थानीय स्तर पर नियमित अन्तराल पर सूचनाओं की महत्वपूर्ण श्रेणियों को स्वतः प्रकाशित करते रहे और नागरिकों की ओर से माँग करने का इन्तजार न करें।

इस धारा के द्वारा तीन स्तर पर पंचायत निकायों द्वारा निम्नलिखित सूचनाएं प्रकाशित किए जाने चाहिए–

1. पंचायत संस्थाओं के कर्तव्यों और दायित्वों तथा उनके अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य। और निर्वाचित
2. पंचायत संस्था द्वारा निर्णय लिए गए निर्णय की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही के माध्यम भी शामिल हों।
3. पंचायत संस्था के कार्य व्यवस्था में अपनाए जाने वाले मापदण्ड ।
4. पंचायत से सम्बन्धित किए जाने वाले कार्य और पंचायत कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले नियम, कानून, अनुदेश और अन्य अभिलेखों की जानकारी।
5. पंचायत व्यवस्था के नियत्रंण में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण।
6. पंचायत व्यवस्थां द्वारा अपने कार्यक्रमों के संचालन हेतु स्थापित की गयी सलाहकारी समितियों का विवरण।
7. प्रत्येक पंचायती व्यवस्था को आवंटित बजट जिसमें समस्त योजनाओं का विवरण, प्रस्तावित व्यय एवं प्रतिवेदन शामिल हो।
8. छूट अनुज्ञा पत्र किसी अधिकार पत्र को प्राप्त करने वालों का विवरण।
9. जन सूचनाधिकारी का नाम / पदनाम व अन्य विवरण जो कि सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदनों पर कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी हो।

V. ग्रामीण विकास में सूचनाधिकार की भूमिका

नोट– प्रशासनिक सुधार विभाग उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1167/43–2–2005 दिनांक 29 नवम्बर 2005 द्वारा पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत सूचना मांगते समय फीस जमा करने के लिए लेखा शीर्षक 0070– अन्य सेवाएं, 800 अन्य प्राप्तियाँ।

उत्तर प्रदेश के पंचायत निदेशक द्वारा तीन स्तर पर पंचायत से जानकारी लेने के लिए निम्न प्रक्रिया है–

1. ग्रामीण पंचायती स्तर पर नगर पंचायत सचिव (टक्द्) को प्रार्थना पत्र देकर सूचना प्राप्त कर सकते हैं और निर्धारित शुलक देकर अभिलेखों की छायाप्रति प्राप्त कर सकते हैं।
2. विकास खण्ड स्तर पर सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु मण्डल स्तर पर उपनिदेशक पंचायत को सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है जिसको प्रार्थनापत्र दिया जा सकता है।
3. जिले के आधार पर जिला पंचायत के अधिकारी को सहायक लोक सूचना का अधिकारी नामित किया गया है जिसे दरख्वास्त दिया जा सकता है।
4. राज्य स्तर संयुक्त निदेशक को लोक सूचनाधिकारी नामित किया गया है जिन्हें प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है जिनका पता निम्नलिखित है–

संयुक्त निदेशक (पंचायत), राज्य लोक सूचना अधिकारी, पंचायतीराज निदेशालय, छठवां तल, जवाहर भवन लखनऊ।

VI. जनसामान्य को उपलब्ध न करायी जाने 'वाली सूचनाएँ:

सूचनाधिकार अधिनियम में कुछ ऐसी सूचनाओं को रखा गया है जिन्हें जनसामान्य को दिया जा सकता है इनमें प्रमुख सूचनाएं निम्नवत् है–

1. भारत की प्रभुता अखण्डता पर विपरीत प्रभाव डालने वाली सूचनाएँ।
2. लोक सुरक्षा व शान्ति पर प्रभाव डालने वाली सूचनाएँ।
3. किसी अपराध के जाँच–पड़ताल पर असर डालने वाली सूचनाएँ।
4. राज्य की सुरक्षा, विशेष वैज्ञानिक या आर्थिक हितों तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर असर डालने वाली सूचनाएँ।
5. किसी कानूनी कार्यवाही पर विपरीत प्रभाव डालने वाली सूचनाएँ।

6. मंत्रिमण्डल, उनके सचिवों और अधिकारियों के विचार–विमर्श व सभी दस्तावेज आदि।

किन्तु किसी भी स्थिति में तीन स्तर पर रखे जाने वाले अधिकतर अभिलेख ऐसे नहीं है जिन्हें छूट के योग्य माना जाय या सूचना के प्रकटन से रोक के अन्तर्गत रखा जाय क्योंकि सामान्यतः विकास सम्बन्धी सभी मुद्दे इतने संवेदनशील नहीं है कि उन्हें गुप्त रखा जाय तकनीकि दृष्टि से किसी भी पंचायत द्वारा रखे गए अभिलेखों तक सभी नागरिकों की पहुंच संभव बनानी चाहिए।

VII. ग्रामीण पंचायत स्तर पर सूचना का स्वतः प्रकटन

उत्तर प्रदेश पंचायत अधिनियम 1947 में सूचना प्राप्त करने के लिए किए गए प्रावधान के अनुसार कुछ सूचनाएँ स्वतः दिए जाने की व्यवस्था है–

1. ग्राम स्तर की बैठकों में स्वतः खुलासा।
2. ग्रामीण पंचायतों की बैठकों में स्वतः खुलासा।
3. कर लगाने, पुराने निर्धारित कर में वृद्धि करने, कोई शुल्क व उपशुल्क लगाने के सम्बन्ध में ग्रामीण पंचायतों द्वारा स्व खुलासा।
4. ग्रामीण पंचायतों द्वारा वार्षिक रिपोर्ट की स्वतः घोषणा तथा ग्राम पंचायतों द्वारा रखे जाने वाले विभिन्न प्रकार के अभिलेखों की स्व घोषणा।

ग्राम पंचायत के सचिव निम्नलिखित रजिस्टर रखेंगे जिनको सूचनाधिकार के द्वारा देखा जा सकता है"–

(i) वार्षिक रिपोर्ट
(ii) कैश बुक
(iii) रसीद बुक
(iv) कार्यवाही रजिस्टर
(v) पासबुक
(vi) अचल सम्पत्ति रजिस्टर
(vii) करदाता रजिस्टर
(viii) कर निर्धारण एवं वसूली रजिस्टर
(ix) मास्टर रोल
(x) स्टाक रजिस्टर
(xi) जन्म सम्बन्धी सूचना की रसीदें
(xii) मृत्यु सम्बन्धी मासिक रजिस्टर
(xiii) विवाह रजिस्टर
(xiv) विवाह प्रभाव पत्र
(xv) कार्यपूर्णता प्रभाव पत्र
(xvi) ग्रामसभा का वार्षिक आय व्यय
(xvii) एजेण्ड रजिस्टर
(xviii) बाउचर रजिस्टर
(xix) परिसम्पत्ति रजिस्टर

VIII. पंचायत व्यवस्था में जन सूचनाधिकार की उपयोगिता

उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947, उत्तर प्रदेश पंचायत संशोधन 1994 एवं सूचनाधिकार अधिनियम 2005 का अवलोकन करने के उपरान्त हम इस निर्णय पर आते हैं कि पंचायतीराज व्यवस्था में सूचना के स्वः प्रकटीकरण के प्रावधान होने के उपरान्त भी इसका सही ढंग से प्रयोग नहीं हो रहा था परन्तु सूचनाधिकार अधिनियम 2005 के आने के बाद लोगों में जागरूकता बढ़ी है।

ग्रामीण नागरिकों में शैक्षिक क्षेत्र में वृद्धि हुई है। अब शिक्षा नाम लिखने तक सीमित नहीं रह गयी है। अब शिक्षित व्यक्ति शिक्षित होने के उपरान्त अपने गुण दोषों को एवं लाभ–हानि के बारे में जानने लगा है। टेलीविजन, रेडियो, पत्र–पत्रिकाओं के माध्यम से नागरिकों का ज्ञान बढ़ा है जिससे उनमें जागरूकता भी बढ़ी है। इसका लाभ यह हुआ है कि पंचायत व्यवस्था के द्वारा होने वाले सभी कार्यों का विवरण जानने की जिज्ञासा आम नागरिक में प्रस्फुटित हुई है। सूचनाधिकार के आने के उपरान्त ग्राम्य जनता में ग्राम पंचायत द्वारा किए गए कार्यों को जानकारी लेना अब सरल हुआ है जिसका परिणाम यह हुआ है कि हर व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति चेतन हो गया है और सरकार द्वारा प्रदान की गयी प्रत्येक योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रयासरत है। सभी के उपयोग हित के बजाय स्व हित के लिए ही सही किन्तु हर शिक्षित व्यक्ति सूचना के अधिकार का प्रयोग करने के लिए तत्पर है।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का तीन स्तर पंचायत प्रणाली में बहुत महत्व है जो निम्नलिखित है–

1. पंचायती प्रक्रिया में ईमानदारी आयी है।

सन्दर्भ सूची

1. vikaspedia.in/egovernance/about/aboutrtiact2005/shikshasesoochna dena ya pahal karna.
2. www.wikipedia.org/wiki/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
3. सूचना का अधिकार और पंचायतीराज संस्थाएँ एक केस स्टडी के रूप में उत्तर प्रदेश/CHRI2008/लेखिका–सोहिनी पाल
4. सूचना का अधिकार और पंचायतीराज संस्थाएँ एक केस स्टडी के रूप में उत्तर प्रदेश/CHRI2008/लेखिका सोहिनी पाल, पेज नं0 11
5. सूचना का अधिकार और पंचायतीराज संस्थाएँ एक केस स्टडी के रूप में उत्तर प्रदेश/CHRI2008/लेखिका सोहिनी पाल, पेज नं0 28